International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979, Impact Factor: RJIF 5.72
www.allsubjectjournal.com
Volume 3; Issue 10; October 2016; Page No. 228-235

डॉ0 अंबेडकर के जीवन के महत्त्वपूर्ण आयामों में से एक आयाम है : श्रमिक कल्याण

राजेश कुमार गोहर

शोधार्थी (पी0एच0डी0) इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत।

प्रस्तावना

डॉ. अंबेडकर के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण आयाम श्रमिक कल्याण भी है। डॉ. अंबेडकर को दिनांक 21.07.1941 को सरकारी सूचना के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य पहले चुना जा चुका था। डॉ. अंबेडकर 20.07.1942 को वायसराय की कार्यकारिणी में श्रम मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। श्रम विभाग का कार्य सौंपा गया था।1 इस नियुक्ति के बाद डॉ. अंबेडकर ने श्रमिकों के कल्याण के लिए काफी महत्त्वपूर्ण कार्य किए। भारत में पहले श्रम संबंधी कानून में एक रूपता का विनम्र अभाव था। 07.08.1942 को दिल्ली में हुए संयुक्त श्रम अधिवेशन भारत सरकार के श्रम मंत्री की हैसियत से डॉ. अंबेडकर के द्वारा किया गया भाषण अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है।

डॉ. अंबेडकर ने चौथे श्रम अधिवेशन में भाषण दिया था। उसके पूर्व भारत सरकार के श्रम विभाग के द्वारा नई दिल्ली में तीन अधिवेशन हो चुके थे। इनमें से प्रथम 22–23.01.1942 को तथा दूसरा 27–28. 01.1942 को और तीसरा 30–31.01.1942 को हुआ था। इस अधिवेशन के पूर्व के जो अधिवेशन हुए थे। उनके प्रस्तावों का कार्यान्वयन के लिए प्रभावकारी कार्य किए गए। केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारो के द्वारा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के विभिन्न शहरों में मिलकर महत्त्वपूर्ण वार्तालाप की गई।

डॉ. अंबेडकर के द्वारा इन प्रभावकारी प्रयासों की प्रशंसा की गई। डॉ. अंबेडकर ने अपने भाषण में एक महत्त्वपूर्ण बात की विभिन्न कार्यों से अब तक औद्योगिक परिषद की अवधारणा को मूलरूप नहीं दिया जा सका। यह दावा नहीं करता इस सम्मेलन में जिस प्रस्ताव को करने के लिए कहा जा रहा है उससे महत्त्वपूर्ण अवधारणा से कार्योतप होता है, परंतु मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन उस लक्ष्य कि प्रति उस दिशा में एक मार्ग बनाने का काम करता है और मैं यदि यह कहूं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तो आप इसे अतिशोक्ति नहीं कहेंगे।''[2]

डॉ. अंबेडकर ने अधिवेशन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में इस अधिवेशन में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं ''आप में से कुछ लोग पिछले अधिवेशनों से परिचित हैं, जो जानते होंगे जिन उद्देश्यों को लेकर इन अधिवेशनों का आयोजन किया गया। उनमें से एक उद्देश्य यह था कि श्रम संबंधी विधान में बिखराव नहीं हो, क्योंकि श्रम संबंधी विधान में प्रान्तीय स्वतंत्रता के कारण यह समस्या देश में पहले से चली आ रही थी।'' डॉ. अंबेडकर कहते हैं ''क्योंकि भारत सरकार संघात्मक सरकार है इसलिए श्रम विधान में एक रूपता लाना कठिन कार्य नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो गणराज्य संघ की रचना की गई जिसके द्वारा श्रम विधान को समवर्ती सूची में शामिल किया गया उससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई।"[3]

यह आशंका व्यक्त की गई यदि कोई केन्द्रीय विधान नहीं बनाया गया तो प्रत्येक प्रान्त अपनी सुविधा के अनुसार विशेष प्रकार से विधान बनाएगा। जो पड़ोसी प्रान्त के लिए कठिनाई पैदा करेगा, क्योंकि ऐसा करने में सामान्य तथा राष्ट्रीय तथ्यों की अपेक्षा प्रांतीय महत्त्व पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। डॉ. अंबेडकर का यह कथन अत्यन्त व्यवहारिक और सत्य प्रतीत होता है।

डॉ. अंबेडकर ने जो उपरोक्त श्रम सम्मेलन बुलाया था। विशेषकर औद्योगिक विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया निर्धारित करना तथा आखिल भारतीय महत्त्व के सभी मामलों पर जो श्रमिकों और मालिको के बीच थे और उन पर चर्चा करना इसलिए उस सम्मेलन के तीन मुख्य उद्देश्य थे 1. श्रम संबंधे विधानों को एकरूपता देना। 2. औद्योगिक विवादों के निपटाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना। 3. कर्मचारियों और नियोजको के बीच आखिल भारतीय महत्त्वपूर्ण मामलों में विचार करना। अक्सर देखा गया है कि औद्योगिक विवादों को लेकर श्रमिकों और मालिकों के मध्य झगड़े होते रहते हैं एक समय दोनों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उन्होंने जिम्मेदारी से विचार किया। इस प्रकार से जितनी हड़ताले हुईं, इतने बड़े पैमाने पर या इतना संकट पैदा करने वाली जितनी हो सकती थी। इस वर्ष के आरंभ में औद्योगिक शांति का वातावरण बना किंतु भारत रक्षा नियम के अधीन विवादों को निपटाने की प्रक्रिया निर्धारित किए जाने से आगे हाल के महीनों में अच्छा परिणाम आया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्मेलन के प्रयास सफल हुए।

भारतीय समाज की संरचना और श्रमिक आंदोलन

लेनिन का कहना था ''सामाजिक जनवादियों के लिए ट्रेड यूनियन ही आदर्श नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें लोगों का ट्रिब्यून बनाना चाहिए। ऐसा ट्रिब्यून जो हर क्रूरता और दमन का चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी वर्ग या सामजिक स्तर को प्रभावित करता हो, विरोध करे और इन तमाम रूपों का सामान्यीकरण करके ऐसी तस्वीर लोगों के सामने पेश करें जो पुलिस हिंसा और पूंजीपति शोषकों का भंडाफोड़ कर सकें।''3 लेकिन विरले ही ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जब भारत के श्रमिक आंदोलन ने संगठित रूप से भारत में व्याप्त सामाजिक क्रूरता, भेद–भाव, दमन और उत्पीड़न को अपने आंदोलन का मुद्दा बनाया हो। जातिभेद और दलित वर्ग के साथ छुआछूत तो अभी तक उनके ऐजेंडा में नहीं हैं। इन मामले में अपने हम उग्र श्रमिक नेताओं और उनकी श्रमिक आंदोलन संबंधी अवधारणाओं से अलग डॉ. अंबेडकर ने समाज में व्याप्त जातिगत उत्पीड़न, दमन, हिंसा व इनके श्रमिक आंदोलन पर पड़ रहे प्रभाव को अपने आंदोलन का मुद्दा बनाया। वह ऐसे पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने श्रमिक आंदोलन में भारतीय समाज की जातिगत संरचना की विनाशकारी भूमिका को पहचाना और उसको अपनी आलोचना और संघर्ष का केंद्रीय विषय बनाया।

डॉ. अंबेडकर ने श्रमिकों में व्याप्त विभाजन को वर्णव्यवस्था की सामाजिक संरचना से जोड़ते हुए कहा कि यह कोई विकसित या वैज्ञानिक समाज–व्यवस्था नहीं हैं। डॉ. अंबेडकर के अनुसार ''इसकी उत्पत्ति तब हुई जब मानव मस्तिष्क और समाज आदिम स्तर पर था। यह जान–बूझकर अधिकांश लोगों को कुछेक गिने–चुने लोगों की सेवा में लगाए रखने के लिए बनाई गई थी।

सर्वहारा वर्ग का संघर्ष एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए अग्रसर होता है और इसका चरित्र प्रगतिशील होता है।''[4]

लेकिन ''वर्णव्यवस्था'', बकौल डॉ. अंबेडकर ''लोगों को निर्जीव, पंगू व लूला बनाकर उन्हें प्रगति उन्मुख उत्तम कार्यों के लिए असमर्थ बना देती है''[5] डॉ. अंबेडकर के अनुसार वर्णव्यवस्था ऐसा करके श्रमिकों को विभाजित करती है। डॉ. अंबेडकर ने वर्णव्यवस्था को श्रम का विभाजन मानने से इंकार कर दिया। इस संदर्भ में डॉ. अंबेडकर ने यह श्रमिकों का भी विभाजन था। उनके अनुसार ''वर्णव्यवस्था श्रमिकों का ऐसा विभाजन है जिसने मनुष्य की सृजनशील शक्तियो को कुंठित ही नहीं, मृतप्रायः भी कर दिया है।''[6]

श्रमिकों के बीच भेदभाव पैदा के लिए उन्होंने ब्राह्मणवाद को दोषी ठहराया। लेकिन ब्राह्मणवाद से उनका मतलब ब्राह्मणों के क्रियाकलाप से नहीं था। डॉ. अंबेडकर के अनुसार ''ब्राह्मणवाद से तात्पर्य उन अधिकारों, सुविधाओं और हितों से नहीं है जो ब्राह्मणों को बतौर एक समुदाय के नाते प्राप्त थीं। मैं इस शब्द का प्रयोग इस आशय से नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मणवाद से मेरा तात्पर्य है स्वतंत्राता, समता और भाईचारे की भावना को नकारने से है। इस अर्थ में यह अकेले ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह सर्वव्यापी और सभी वर्गों में मौजूद है। हालांकि वे (ब्राह्मण) इसके जनक हैं। ब्राह्मणवाद का प्रभाव केवल सामाजिक अधिकारों यथा अंतर खान–पान और अंतर्विवाह तक ही सीमित नहीं था, यह नागरिक अधिकार देने से भी इंकार करता है। ब्राह्मणवाद इतना सर्वव्यापी है कि सह आर्थिक अवसरों को प्रभावित करता है''[7]

इसलिए डॉ. अंबेडकर दलितों के सामाजिक संघर्ष को न्यायोचित और जरूरी मानते थे। उन्होंने कहा था कि ''मैं यह बात कहने के लिए तैयार नहीं कि सामाजिक सवालों पर केंद्रित हमारे प्रयत्न गलत थे। अन्य लोग कुछ भी कहें, लेकिन इन सवालात का बोझ हमारी शख्सियत को तबाह करता है।''[8] लेकिन यह वह भी मानते थे कि दलितों ने काफी लम्बे समय तक अपने आर्थिक सवालों को नजरअंदाज किया, और उन्हें श्रमिक वर्ग के रूप में एकत्रित होना चाहिए।

लेकिन श्रमिक नेताओं ने श्रमिक वर्ग में दलितों का स्वागत करने की बजाय डॉ. अंबेडकर के इस प्रयास को श्रमिक वर्ग में विभाजन बताया। इन आरोपों का जवाब देते हुए डॉ. अंबेडकर ने श्रमिक वर्ग के लिए उपलब्ध अवसरों का बेबाक विश्लेषण करते हुए बताया कि कैसे भारत की सामाजिक संरचना दलित श्रमिकों की प्रगति के रास्ते में बाधा बनी हुई थी। बंबई और अहमदाबाद की मिलों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे रोजगार और मजदूरी के मामले में दलितों के लिए सबसे कम मजदूरी वाले कताई विभाग के अलावा कहीं कोई जगह नहीं थी। इन कपड़ा मिलों में दलितों को बुनाई व अन्य ज्यादा मजदूरी वाले विभागों में काम नहीं दिया जाता था। उन्होंने बताया कि स्वर्ण जाति के हिन्दू दलितों के साथ काम करने को तैयार नहीं थे, जबकि मुस्लिम श्रमिकों के साथ काम करने में इन स्वर्ण हिन्दुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने यह भी बताया कि ''रेलवे में उनकी (दलितों) नियुक्ति में गैंगमैन के रूप में काम करना है।''

वह पूरी जिंदगी गैंगमैन के रूप में ही करता है और तरक्की का कोई अवसर नहीं है। कोई उच्चतर ग्रेड वाला पद उसके लिए उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि उसे कुली के तौर पर भी शायद ही कभी नौकरी दी जाती हो। चूंकि उसके पारम्परिक दायित्वों में स्टेशन मास्टर के घरेलू नौकर का काम भी शामिल होता है, इसलिए सामान्यतः ऊँची जाति का होन के नाते स्टेशन मास्टर इन अछूत कुलियों से अपने घर का काम नहीं करा सकता, अतः वह अछूतों को कुली नहीं बनाते।''[9]

श्रमिक आंदोलन में फैली भ्रांतियों को सिद्धांतों के आधार पर तौलते हुए उन्होंने कहा, ''हम लोगों को दोष देने वाले कामगार नेताओं को एक खास प्रकार का भ्रम हुआ है। उन्होंने श्रमिक नेताओं ने कार्ल मार्क्स (साहित्य) में पढ़ लिया है कि केवल दो ही वर्ग हो सकते हैं, मालिक और श्रमिक, और वह यह मानते हुए कि भारत में भी मालिक और श्रमिक दो वर्ग हैं, वह सीधे पूंजीवाद को ध्वस्त करने के मिशन में लग जाते हैं। निस्संदेह इस मान्यता में दो गलतियां हैं। पहली, गलती यह है कि जो बात सम्भावनीय या आदर्श है, उसे वह वास्तविक समझते हैं। मार्क्स ने कहीं भी, डोगमा के तौर पर, यह नहीं कहा है कि किसी भी समाज मे सिर्पफ दो ही स्पष्ट वर्ग, मालिक और श्रमिक होते हैं। भारत के संदर्भ में यह निश्चय ही गलत होगा। भारत में स्पष्ट वर्ग विभाजन नहीं पाया जाता। यानी सारे श्रमिक एक है, एक वर्ग बनाते हैं, प्राप्त योग्य आदर्श है, जिसे तथ्य के रूप में स्वीकार करना सबसे बड़ी गलती होगी।''[10]

श्रमिकों की एकता के विषय में उन्होंने कहा कि कामगारों के एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर अन्याय करके श्रमिकों में एकता नहीं लाई जा सकती। यदि ''एक कामगार दूसरे कामगार को हक नहीं दे सकता, फिर वह हक खुद के लिए मांगने का उसको अधिकार नही। इस बात को मानना ही कामगारों की एकता का रास्ता है। सामाजिक दृष्टि से ऊंच और नीच का भेदभाव मानना और उस पर आचरण करना सैद्धांतिक तौर पर ग़लत हैं और यह बात कामगारों की एकता के लिए खतरनाक है।''[11] डॉ. अंबेडकर का मानना था कि श्रमिक वर्ग में श्रमिक एकता की चेतना फैलाने वाले नेताओं की कमी थी। उन्होंने कहा ''लेकिन श्रमिक वर्ग में इस चेतना को पैदा करने वाले श्रमिक नेता कहां है? मैंने पूंजीवाद के खिलाफ श्रमिक नेतओं को जोर–जोर से भाषण देते हुए सुना है। किन्तु श्रमिकों में जो ब्रह्मणवाद अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है, उसके खिलाफ किसी भी श्रमिक नेता को मैंने बोलते हुए नहीं देखा है। बल्कि मैंने देखा है कि वे इस बात पर चुप्पी साध लेते हैं।''[12]

भारतीय इतिहास की आर्थिक व्याख्या

भारतीय समाज के विश्लेषण के बाद डॉ. अंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल आर्थिक व राजनीतिक संरचनाएं ही सामाजिक संरचनाओं की निर्धारक नहीं। इसी संदर्भ में समाजवादियों के सैद्धांतिक पक्ष पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा ''सामाजवादियों की सोच में यह गड़बड़ी इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि चूंकि मौजूदा चरण में यूरोपियन समाज में संपत्ति सत्ता के स्रोत के रूप में प्रभावी है। अतः यही भारत के लिए भी सच है और यही भूतकाल में यूरोप के लिए भी सच था।'' डॉ. अंबेडकर के अनुसार ''आर्थिक शक्ति ही एक मात्रा शक्ति नहीं थी?''[13] उन्होंने भारतीय और यूरोपियन समाजों के बीच मूलभूत अंतर माना। उन्होंने प्राचीन या पूर्व पूंजीवादी समाजों में धर्मिक सत्ता की प्राथमिकता पर जोर दिया।

मार्क्स द्वारा की गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करते हुए डॉ. अंबेडकर ने कहा– ''इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत' की उपयुक्तता पर एक विवाद छिड़ गया है। मेरी सोच के मुताबिक मार्क्स ने इसे विचार के तौर पर कम, श्रमिकों को निर्देश के तौर पर ज्यादा प्रतिपादित किया था। यादि श्रमिक वर्ग के आर्थिक हितों को मालिक वर्ग की भाँति सर्वोच्च बनाने की चिंता करें, तो इतिहास जीवन के आर्थिक तथ्यों की पहलें की अपेक्षा ज्यादा सही तस्वीर होगा। यदि इतिहास की आर्थिक व्याख्या का विचार पूर्णतः सही नहीं है तो इसका कारण यह है कि श्रमिक वर्ग एक वर्ग के तौर पर आर्थिक तथ्यों को संबंधित जीवन के हालत निर्धारित करने में, ताकत देने में नाकाम रहा है।''[14]

इस संदर्भ में 'एन्ड ऑफ दि इकानामिक मैन' विषय पर लिखी गई एक पुस्तक पर अपनी राय श्रमिकों को बताते हुए उन्होंने कहा– ''हाल ही में किसी व्यक्ति ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है– 'एन्ड ऑफ दि इकानामिक मैन'। हक़ीकत में हम आर्थिक के अंत के विषय में बात नहीं कर सकते। कारण साधारण–सा है कि आर्थिक व्यक्ति कभी पैदा ही नहीं हुआ। मार्क्स को दिया गया व्यंग्यात्मक उत्तर कि मनुष्य केवल रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता, बदकिस्मती से सच है। मैं कालाईल के इस विचार से सहमत हूँ कि मानव सभ्यता का उद्देश्य केवल इंसानों में चर्बी की बढ़ोत्तरी करना ही नहीं है, जैसा कि हम सुअरों के लिए मानते हैं। फिर भी हम उस अवस्था से काफी दूर है। सुअरों की तरह मोटा होना तो दूर कमेरा वर्ग भूखा मर रहा है, और उनका मानना हैं कि पहले वह रोटी की सोचे और बाकी चीज़ों के बारे में बाद में''[15]

ट्रेड यूनियन का आरंभ

डॉ. अंबेडकर ट्रेड यूनियन आंदोलन के समर्थक और प्रणेता थे। उनके अनुसार ट्रेड यूनियन बहुत ही उपयोगी लक्ष्य की पूर्ति करती थी। लेकिन डॉ. अंबेडकर ट्रेड यूनियन आंदोलन के तात्कालिक ढर्रे के कटु आलोचक थे। उनके अनुसार ''ट्रेड यूनियनवाद की हालत भारत में बहुत ही खराब है। ट्रेड यूनियनों का मुख्य उद्देश्य आंखों से ओझल हो चुका है।''[16]

ट्रेड यूनियनवाद का मुख्य उद्देश्य श्रमिक वर्ग के जीवन–स्तर को गिरने से रोकना बताते हुए डॉ. अंबेडकर ने कहा, ''यदि कोई ऐसा देश है, जहां ट्रेड यूनियनवाद की पक्की जरूरत है, तो मेरी राय में, वह भारत है। लेकिन, जैसा कि मैंने बताया, भारत में ट्रेड यूनियनवाद एक ठहरे हुए और सड़न से भरे तालाब की तरह है। इसकी सारी वजह ट्रेड यूनियन के नेतृत्व का डरपोक, स्वार्थी या बहकावे में आना है।''[17] डॉ. अंबेडकर की राय में ट्रेड यूनियन नेतृत्व काफी कमियों का शिकार था। उन्होंने श्रमिक को तीन हिस्सों में बांटा। उनकी राय में पहला नेतृत्व, ''केवल आराम से बैठे दार्शनिक या राजनीतिज्ञ है, जिन्होंने ख़ुद के काम को केवल अखबारों में बयान जारी करने तक सीमित कर लिया है। श्रमिकों को संगठित करना, श्रमिकों को शिक्षित करना और उन्हें आंदोलित होने में सहायता करना उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है। वह श्रमिकों के संपर्क से बचते हुए, उनका प्रतिनिधित्व करने और उनके नाम पर बोलने में इच्छुक है।''[18] दूसरे तरह के नेतृत्व के विषय में उन्होंने बताया, ''यह नेतृत्व खुद को सचिव या अध्यक्ष पद पर विराजमान करने हेतु यूनियन बनाने में लगे हैं। अपने को पदों पर कायम रखने के लिए वह अपनी यूनियन को अलग और प्रतिद्वंद्वी बनाए रखते हैं।...... कितना शर्मनाक है कि ट्रेड यूनियनों के बीच आपसी जंग–मालिकों और श्रमिकों के बीच की जंग से, यदि वह कही कम है तो कही ज्यादा घातक है।''[17] ट्रेड यूनियनों के तीसरी तरह के नेतृत्व को उन्होंने ज्यादातर साम्यवादी खेमें का बताया। डॉ. अंबेडकर का कहना था कि ट्रेड यूनियनें श्रमिकों की हर बीमारी का इलाज नहीं हैं। अगर ''ट्रेड यूनियने शक्तिशाली भी हों, तो भी इतनी मजबूत नहीं हैं कि पूंजीपतियों को पूंजीवाद को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए मजबूर कर सकें''[19] डॉ अंबेडकर चाहते थे कि श्रमिक अपना ध्यान सरकार पर कब्जा करने पर केंद्रित करें। उनकी राय में जब तक ट्रेड यूनियनवाद सरकार पर कब्जा करने को अपना लक्ष्य नहीं बनाता, ट्रेड यूनियनें श्रमिकों का बहुत ही कम भला कर पाएगी और यह ट्रेड यूनियन नेताओं की लगातार झगड़ेबाजी का अड्डा स्रोत बनी रहेंगी। श्रमिकों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरों को सबसे पहले ट्रेड यूनियनों की स्थापना के अपने ''अल्टीमेट'' उद्देश्य को रद्द कर देना चाहिए और ''श्रमिकों को यह घोषणा करनी चाहिए कि उनका उद्देश्य श्रमिकों को सत्ता में लाना है।''[20] इस काम के लिए डॉ. अंबेडकर श्रमिकों द्वारा ''लेबर पार्टी'' के रूप में एक राजनीतिक दल का गठन जरूरी मानते थे। उनके अनुसार ट्रेड यूनियन भी इस पार्टी का ही हिस्सा होना चाहिए। श्रमिकों को उन्होंने ट्रेड यूनियनवाद के संकीर्ण नजरिए और ''अल्टीमेट'' लाभ की कीमत पर तात्कालिक लाभ को तरजीह देने की प्रवृत्ति से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने श्रमिकों को सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी पार्टियों तथा हिन्दू महासभा और कांग्रेस से अलग रहने की सलाह भी दी।

इंडिपेंडेट लेबर पार्टी की स्थापना

पहले संकेत किया जा चुका है कि डॉ. अंबेडकर श्रमिकों की एक अलग पार्टी की स्थापना के पक्ष में थे। उन्हें प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता एम.एन.राय द्वारा श्रमिकों के अलग राजनीतिक संगठन के निर्माण का विरोध करने पर बहुत आश्चर्य हुआ। कम्युनिस्ट नेतृत्व के इस विरोध को वह एक वस्तुगत अंतर्विरोध मानते थे। एम. एन. राय का मानना था कि ''साम्राज्यवाद का विनाश'' भारतीय राजनीति का सर्वप्रथम उद्देश्य था। डॉ. अंबेडकर इस स्थापना से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष जमीदारों, मिल–मालिकों और महाजनों, जोकि साम्राज्यवाद के सहयोगी थे, के खिलाफ संघर्ष किए बिना नहीं किया जा सकता।

डॉ. अंबेडकर ने 15 अगस्त 1936 में 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' की स्थापना की। पार्टी ने श्रमिकों, किसानों और निम्न मध्यम वर्ग के हितों को अपने कार्यक्रम का मुद्दा बनाया। अछूतों के नेता के रूप में ख्याति प्राप्त डॉ. अंबेडकर ने जब यह कदम उठाया तो लोगों ने उनसे दलित की जगह ''लेबर'' शब्द रखने पर सफाई मांगी। डॉ. अंबेडकर ने ''लेबर'' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि पार्टी श्रमिकों का संगठन है। क्योंकि इसका कार्यक्रम मुख्यतः श्रमिक वर्ग का कल्याण है। ''इसलिए दलित शब्द के स्थान पर लेबर शब्द को रखा गया है''[21] उनके अनुसार श्रमिकों में दलित भी शामिल थे।

'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' का कार्यक्रम व्यापक, प्रगतिशील एवं समाजवाद से प्रभावित था। डॉ. अंबेडकर ने कांग्रेस के रहते हुए भी इस नई पार्टी का गठन क्यों किया। इस विषय पर डॉ. अंबेडकर ने कांग्रेस की बेबाक आलोचना की। उनके अनुसार ''कांग्रेस लुटेरों का एक समूह है।'' कांग्रेस का संगठन ऐसा है कि यह जनता की सेवा करने के लिए आज़ाद नहीं है।''[22] कांग्रेस को एक बेमेल संगठन चिह्नित करते हुए उन्होंने इसे एक दोहरे चरित्र वाली पार्टी बताया। उनकी राय में कांग्रेस में शोषक भी थें और शोषित भी। डॉ. अंबेडकर कांग्रेस को पूंजीपतियों के नियंत्राण वाला संगठन मानते थे। उनके अनुसार ''जब तक कांग्रेस पर पूंजीपतियों का अधिकार है, गरीब जनता अपनी आर्थिक उन्नति के लिए उस पर यकीन नहीं कर सकती।''[23] पूंजीपतियों द्वारा जनता के शोषण का भंडाफोड़ करते हुए उन्होंने इस वर्ग के खिलाफ जनता के सांझे मोर्चे की तैयारी पर जोर दिया।

'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' ने श्रमिकों, किसानों और उनके साथ ही निम्न मध्यम वर्ग के हितों के लिए कार्यक्रम रखा। पार्टी के कार्यक्रमानुसार पार्टी जोतदारों को जमींदारों की ज्यादातियों और बेदखली से बचाने के लिए विधान बनाने और औद्योगिक श्रमिकों को मिलने वाले कुछेक पफायदे कृषि श्रमिकों को भी देने के हक में थी। पार्टी ने अपने कार्यक्रम में पुराने उद्योगों के पुनर्वास और नए उद्योग शुरू करने पर जोर दिया। पार्टी ने जहां आवश्यक हो वहां उद्योगों में राजकीय प्रबंध व उद्योगों को राजकीय स्वामित्व में, स्थापित करने का विचार भी अपने घोषणा पत्रा में शामिल किया। लोगों व उद्योगों की उत्पादकता दक्षता में सुधर लाने के लिए पार्टी ने तकनीकी शिक्षा का विस्तृत कार्यक्रम पेश किया। पार्टी ने औद्योगिक क्षेत्रा में रोजगार नियंत्राण तथा सेवा काल की शर्ते भी प्रस्तावित की। पार्टी ने बेरोजगारी को एक अहम समस्या मानते हुए इसे दूर करने के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्यो को शुरू करने का

सुझाव रखा। पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि–बंदोबस्त करने के अलावा, शहरों में निम्न मध्यम वर्ग के हितों के लिए औद्योगिक केन्द्रों और बड़े शहरों में मकानों के किराये नियंत्रित करने पर भी जोर दिया। ''इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी'' के कार्यक्रम की एक खास विशेषता उसका सामाजिक कार्यक्रम था। पार्टी ने हर तरह के पुरातनपंथवाद और प्रतिक्रियावाद के खिलाफ एक निश्चित सामाजिक कार्यक्रम रखा। पार्टी ने धर्मनिरपेक्ष कार्यों यथा शिक्षा के लिए धर्मार्थ निधि बनाने का सुझाव दिया। पार्टी ने सफाई, आवास आदि सांस्कृतिक सुविधओं सहित आधुनिकीरण हेतु ग्रामीण नियोजन पर जोर दिया। 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' जब इस कार्यक्रम के साथ 1937 के चुनावों में उतरी तो बंबई प्रांत में उसके उम्मीदवार अछूतों के लिए सुरक्षित 15 स्थानों में से 13 स्थानों पर तो निर्वाचित हुए ही उसके अलावा पार्टी के उम्मीदवार दो गैर–सुरक्षित स्थानों के लिए भी निर्वाचित हुए।''[24]

कांग्रेस का ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल–1938 पर आपत्ति तथा श्रमिक हड़ताल

डॉ. अंबेडकर ने श्रमिकों और मजलूमों के हकों की बात पुरजोर तरीके से रखने का कोई अवसर नहीं खोना चाहते थें। 1937 के चुनाव के बाद बंबई प्रांत में कांग्रेस ने सरकार बनाई। इस सरकार ने 15 सितंबर 1938 की बंबई विधानसभा में औद्योगिक विवाद बिल पेश किया। इस बिल का मकसद उद्योगों में शांति स्थापित करना बताया गया। इसके लिए बिल के उद्देश्य थे –

1. औद्योगिक विवादों में समझौते को बाध्यकारी बनाना
2. सभी उद्योगों में एक वर्ष की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाना।
3. हड़ताल को दंडित करना। इस बिल द्वारा सरकार ''बांबे औद्योगिक समझौता अधिनियम–1934'' को प्रतिस्थापित कर समझौता वार्ता को अनिवार्य बनाना था। यह बिल कुछ कतिपय स्थितियों में हड़ताल को गैर–कानूनी भी बनाता था।

डॉ. अंबेडकर ने इस बिल का जमकर विरोध किया। इस बिल पर दिए गए अपने अविस्मरीणय भाषाण में उन्होंने समझौता वार्ता की प्रक्रिया के प्रावधनों की जो व्यवहारिक तौर पर श्रमिकों के संगठित होने के अधिकार की छीनते थे, कटु आलोचना की। उन्होंने उन प्रावधानों को जो अवैध हड़ताल के दोषियों के लिए कारावास की सशा की बात करते थे, उन्हें कानून विरोधी बताया। डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण में हड़ताल करना कोई अपराध नहीं था। सरकार द्वारा की गई हड़ताल की परिभाषा को अस्वीकार करते हुए उन्होंने हड़ताल को नौकरी के समझौते का उल्लंघन माना। उनके अनुसार ''श्रमिकों द्वारा हड़ताल का अर्थ नौकरी या सेवा के समझौते का उल्लंघन।'' यह एक काननू को तोड़ने से ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम को श्रमिकों के अधिकारों पर कुठाराघात माना। इस बिल में हड़ताल को सार्वजनिक अपराध घोषित किया गया था। इसकी डॉ. अंबेडकर ने कटु ओलोचना की और हड़ताल को मात्रा एक सार्वजनिक त्राुटि माना। विधानसभा में उन्होंने कहा–''सदन के अन्य सदस्य कुछ भी उत्तर दें, लेकिन मेरा जवाब बहुत सीध है। भारतीय विधियिका सेवा समझौते के उल्लंघन को एक अपराध नहीं बना सकती।''[25] ऐसा करने का अर्थ होगा। ''व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरूद्ध काम करने का लिए मजबूर करना और उसे गुलाम बनाना''[26]

विधान सभा के सदस्यों की जानकारी के लिए उन्होंने भारतीय कानून के इतिहास का सिलसिलेवार ब्यौरा पेश करते हुए यह दिखाया कि समझौते के उल्लंघन को कैसे एक अपराध माना गया था। उन्होंने इंगित किया कि ऐसी व्यवस्था सबसे पहले विद्रोह के तुरंत बाद या इसके दौरान 'वर्कमैनस ब्रीच ऑफ कान्ट्रेक्ट' के तहत की गई थी। इस तरह की व्यवस्था का उद्देश्य उन दस्तकारों व निर्माताओं द्वारा जिन्होंने ब्रिटिश सेना को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का समझौता किया था, विद्रोह के दौरान भी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना जारी रखना था। यद्यपि यह कानून 1857 के औपचारिक कानून का हिस्सा था लेकिन इसका कहीं भी उपयोग नहीं किया गया। सन् 1920 के इसमें एक संशोधन किया गया। इस संशोधन के जरिए दोषी को सजा देने से पूर्व मजिस्ट्रेट को यह देखने का अधिकार दिया गया कि समझौता समानता पर आधारित था अथवा नहीं। फिर चाहे जान–बूझकर समझौता तोड़ने वाले कारीगर या कर्मचारी ने अपने नियोजक से अग्रिम राशि ही क्यों न ली हो। 1920 के संशोधित अधिनियम में ग़ैर–जरूरी और झूठी शिकायत पेश करने पर नियोजकों को दंडित किए जाने का प्रावधन भी था।

डॉ. अंबेडकर ने अपने विश्लेषण में यह भी दर्शाया कि भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) में भी साधरण फैक्टरी श्रमिक द्वारा समझौते के उल्लंघन का मामला शामिल नहीं था। इसमें भी नाविकों/सीमैनों की सेवाएं जिसमें संबंधित व्यक्ति को दूर स्थान पर सेवा करनी पड़ती थीं और जिन्हें मालिकों के खर्चे पर भेजा जाता था तथा विकलांग और असहाय व्यक्ति की सेवा समझौते के विषय का ही उल्लेख किया गया था। आई.पी.सी. की धारा 491 में शामिल अंतिम मामले को बरकरार रखते हुए बाकी सब को रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार डॉ. अंबेडकर ने विस्तार सहित यह प्रमाणित किया कि हड़ताल समझौते के उल्लंघन की धमकी मात्र है, एक अपराध नहीं है। यह भारतीय कानून संहिता के तहत सजा योग्य मामला भी नहीं था। यह केवल एक नागरिक त्राुटि थी जिसके लिए दीवानी संहिता के तहत मुआवजे का उपाय था।

डॉ. अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय कानून समझौते के उल्लंघन को अपराध इसलिए नहीं मानता क्योंकि इसका अर्थ होगा किसी व्यक्ति को इसकी इच्छा के विरूद्ध काम करने के लिए मजबूर करना। अतः उसे गुलाम बनाना। डॉ. अंबेडकर ने घोषणा की – ''हड़ताल को दंडित करना श्रमिक को गुलाम बनाने से कुछ कम नहीं है''[27] उन्होंने अमेरिका के संविधान का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि गुलामी अनिच्छापूर्वक की जा रही सेवा नौकरी ही है और यह न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है।

डॉ. अंबेडकर ने हड़ताल को स्वतंत्राता के अधिकार के समकक्ष रखा। उन्होंने हड़ताल करने को स्वतंत्राता के अधिकार का प्रयोग माना। जब कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्रियों ने यह तर्क रखा कि ''हड़ताल का अधिकार'' नाम की कोई चीज नहीं है तब डॉ. अंबेडकर ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उनकी राय थी कि ऐसा वक्तव्य ऐसे व्यक्ति ही दे सकते थे जिन्हें हड़ताल क्या है, की जानकारी ही न हो। डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण में हड़ताल मनुष्य की निजी आशादी से जुड़ी थी। उनकी राय में ''यह (हड़ताल) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शर्तों पर नौकरी/सेवाएं पेश करने का हक है''28 डॉ. अंबेडकर ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा ''यदि कांग्रेस स्वतंत्राता के अधिकार को स्वीकृति देती है तो उसे हड़ताल के अधिकार को भी अनिवार्यतः स्वीकृति देनी पड़ेगी। स्वतंत्राता का अधिकार एक दैवीय अधिकार है तो हड़ताल का अधिकार भी एक दैवीय अधिकार है।''[29]

इस बिल पर अपने विचार रखते हुए विधान सभा के कुछ सदस्यों ने हड़ताल ''षड्यंत्र'' बताया। डॉ. अंबेडकर ने अपने वक्तव्य में सदस्यों के इस दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बताया है कि दस, बीस या दो सौ जितने भी लोग चाहें एक साथ मिलकर हड़ताल करें, कानूनी तौर पर कोई अंतर नहीं पड़ता। उन्होंने सत्ताधारी टोले के इस कुप्रचार भी भर्त्सना करते हुए श्रमिकों की हड़ताल को षड्यंत्र कहे जाने का गलत और बेबुनियाद बताया डॉ. अंबेडकर हड़तालियों के साथ बरते जाने वाली दुश्मनी के भी घोर

विरोधी थे। उन्होंने हड़ताल को दंडित करने को श्रमिकों की सतत् गुलामी की स्थापना करना बताया।

यह बिल 'समझौता वार्ता' को बाध्यकारी बनाता था। इसके अनुसार ''अधिनियम के लागू होने पर एक साल तक कोई हड़ताल नहीं की जा सकेगी।'' श्रमिकों को हड़ताल से पहले 4 माह 25 दिन का समझौता प्रक्रिया से भी गुजरना था। इस दौरान श्रमिक कुछ नहीं कर सकते थे। इस तरह की रुकावटें न केवल लोगों को इकट्ठा करने व संगठित करने पर लागू थीं बल्कि बोलने पर भी लागू थीं। हड़ताल और समझौते की बाध्यता की कलई खोलते हुए उन्होंने जोर दिया कि समझौते की बातचीत हड़ताल तोड़ने का बहाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सरकार की दुरंगी चाल का खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार स्वयं को लोकप्रिय करती थी और उसका दावा था कि वह श्रमिकों के मतों से निर्वाचित थी। लेकिन यह श्रमिकों के ही हकों का हनन कर रही थी।

डॉ. अंबेडकर ने मालिक श्रमिक के बीच शांति समझौते का भी बेबाक विश्लेषण किया। उन्होंने बिल की मूल भावना कि उद्योग में शांति के लिए श्रमिक को मालिक की जंजीर से बांधा जाए कि आगे झुकने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा– ''हमें औद्योगिक शांति के लिए श्रमिकों की गुलामी स्वीकार नहीं है। यह शांति उन भरे हुए पेट वालों की है जिनकी तोंद बड़ी हुई है। मैं इस शांति को अस्वीकार करता हूँ।''[30]

डॉ. अंबेडकर ने सन् 1929 के अधिनियम के पारित होने के दौरान सर जमनादास मेहता और अन्य लोगों द्वारा दिए गए असहमति के प्रस्ताव का हवाला देते हुए संकेत किया कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को, जिसे अनिवार्य सेवा नहीं माना जाता, हड़ताल पर आपराधिक मामला चलाए जाने योग्य नहीं माना जाना चाहिए। तब इस बात को स्वीकृति की गई थी कि जल आपूर्ति, प्रकाश और सफाई जैसी सेवाएं समाज के वजूद के लिए नितांत आवश्यक हैं। अतः इनमें हड़ताल को वैध तरीके से निरुत्साहित किया जाना चाहिए, ''ऐसा इस लिए नहीं किया जाना चाहिए कि यह उपयोगी सेवाएँ हैं, अपितु इसलिए कि यह सामाजिक सुरक्षा सेवाएं हैं।''[31] डॉ. अंबेडकर हर किसी जन उपयोगी सेवा को अनिवार्य सेवा घोषित करने के खिलाफ़ थे। उनके मुताबिक ''अनिवार्य सेवाएं वही थी जो जन–सुरक्षा और समाज की जिंदगी के लिए अनिवार्य थी।'' इसलिए उन्होंने जन उपयोगी सेवाओं यथा रेलवे इत्यादि को अनिवार्य सेवाओं की परिभाषा से अलग रखने के पक्ष में अपने तर्क रखे।

डॉ. अंबेडकर ने बिल में श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ समझौता वार्ता संबंधे प्रावधनों के मनमाने और अलोकतांत्रिक पक्षों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। बिल में यह प्रावधन किया गया था कि केवल वही यूनियनें जो 50 फीसदी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं या यूनियन जिनकी सदस्यता 20 पफीसदी श्रमिकों की हैं व नियोजक से मान्यता प्राप्त हैं, श्रमिकों को प्रतिनिधित्व करने योग्य थीं। डॉ. अंबेडकर ने इस संदर्भ में समय के सर्वाधिक विकसति एवं औद्योगीकृत देश इंग्लैंड का उदाहरण देते हुए बताया कि वहाँ भी यूनियन में शामिल श्रमिकों संख्या के 50 फीसदी से बहुत कम थी। उनकी राय में 50 फीसदी सदस्यता वाली यूनियन को प्रतिनिधि यूनियन के रूप में मान्यता देना अनुचित और मनमाना था। डॉ. अंबेडकर ने बिल के इस प्रावधान का, कि रजिस्ट्रार को एक ही क्षेत्रा में एक से अधिक यूनियनों का पंजीकरण न करना चाहिए, भी विरोध किया। डॉ. अंबेडकर बिल की इस धरा को राष्ट्रीय स्तर पर यूनियनों के विकास और सामान्य ट्रेड यूनियनों की वृद्धि के मार्ग को सीमित करने वाली धारा मानते थे। उनके अनुसार ऐसा करने से भारत में भी इंग्लैंड और दूसरे पश्चिमी देशों की भांति श्रमिक आंदोलन का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा।

ट्रेड डिस्प्यूड्स बिल पेश करते समय सरकार की ओर से श्रमिक और मिल मालिक को एक ही आधर पर रखने का दावा किया गया था। डॉ. अंबेडकर ने इस दावे का पोस्टमार्टम करते हुए इसे मिल मालिकों का पक्ष पोषण करने वाला बताया। इस संदर्भ में उन्होंने समता पर आधरित समानता की वकालत करने वाली विचारधरा का सूक्ष्म विश्लेषण किया। उन्होंने बताया–''समानता अनिवार्यतः समता नहीं है। इसलिए कि समाज में समता उत्पन्न हो सके व इसलिए कि समाज में न्याय हो सके, अलग–अलग लोगों से अलग–अलग तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा।'' अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने व्यक्तिगत आयकर जिसके तहत धनवानों पर आयकर की दर ज्यादा व अपेक्षाकृत कम धन वालों पर आय की दर अपेक्षाकृत कम होती है, का उदाहरण दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा ''चूंकि दोनों वर्गों की आय क्षमता अलग–अलग होती है, अतः उन पर आयकर की दर भी अलग–अलग लागू की जाती है।'' इस मामले में समानता सबसे बड़ी असमानता पैदा कर सकती है। इस संदर्भ में अपने पक्ष को और भी अधिक पुरजोर तरीके से पेश करने के लिए उन्होंने कई सदस्यों वाले साधरण परिवार का जिक्र किया जिसमें एक सदस्य बीमार है। उनकी राय में बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए चिकन सूप दिया जा सकता है जबकि अन्य लोगों को इससे वंचित रखा जाता है। ऐसे में माँ यदि बीमार सदस्य को चिकन सूप देती है स्वस्थ सदस्यों को इससे वंचित रखती है तो कोई उस पर 'पक्षपात बरतने' का दोषारोपण नहीं करता। अतः इसी प्रकार शक्तिशाली और कमजोर, अमीर और गरीब व अज्ञानी और बु(िमान को एक ही मापदंड पर रखने से समता नहीं लाई जा सकती। डॉ. अंबेडकर ने साफ शब्दों में कहा कि ''पूंजी और श्रम के बीच समानता का कोई आधर नहीं है। क्योंकि किसी भी विवाद की स्थिति में सरकार हमेशा नियोजकों के पक्ष में होती है।''[32] इस तथ्य की पुष्टि के लिए डॉ. अंबेडकर ने श्रमिक हड़ताल के मामले में सरकार द्वारा पुलिस के इस्तेमाल का उदाहरण दिया।

श्रमिक विरोधी औद्योगिक विवाद अधिनियम के खिलाफ संयुक्त मोर्चा

डॉ. अंबेडकर और जमनादास मेहता के पुरजोर विरोध के बावजूद कांग्रेस सरकार ने अपने बहुमत के बल पर श्रमिक विरोध औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित कर दिया। अतः अब डॉ. अंबेडकर ने लड़ाई का मोर्चा विधानसभा से बाहर जमाया। औद्योगिक शहरों में बिल के खिलाफ असंतोष फैल रहा था। 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' और बीपी टीयूसी ने संयुक्त रूप से सोमवार 7 नवंबर 1938 को एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया। एक और श्रमिक यूनियनों की ओर से हड़ताल को सफल बनाने के लिए जबरदस्त प्रचार किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से हड़ताल को नाकामयाब बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है।

हड़ताल की सफलता के लिए 6 नवंबर को प्रातः 8 बजे सर जमनादास मेहता की अध्यक्षता में ट्रेड यूनियनों की कौंसिल ऑफ एक्शन की बैठक हुई। पारूलेकर, मिराजकर, डांगे, निम्बाकर के अलावा डॉ. अंबेडकर ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में जुलूस व मिलों और फैक्ट्ररियों के सामने शांतिपूर्ण पिकेटिंग की विस्तृत योजना तैयारी की गई। बैठक में श्रमिक से बिल के खिलाफ संघर्ष करने का आह्यान भी किया गया। डॉ. अंबेडकर ने अपनी पार्टी के सभी विधयकों की बैठक बुलाई। उन्होंने हड़ताल को सफल बनाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की। इस बैठक में जमनादास मेहता ने भी हिस्सा लिया। डॉ. अंबेडकर ने पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को इलाके के अनुसार जिम्मेदारियां सौंपी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने यह कहते हुए कि डॉ. अंबेडकर हड़ताल का उपयोग अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हड़ताल को समर्थन देने से इंकार कर दिया। उध्र कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता

एस.के. पाटिल ने हड़ताल विरोधी बैठकें आयोजित की और कॉटन ग्रीन पर आयोजित एक बैठक में खुद भी भाषण दिया।

हड़ताली श्रमिकों को आतंकित करने के लिए बंबई सरकार ने बंबई के सीमावर्ती जिलों से 12 अधिकारियों सहित 300 सशस्त्र आरक्षित पुलिस को बुला लिया और इसे शहर के मुख्य नाकों पर तैनात कर दिया गया। दूसरी और 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' के कार्यकर्ताओं ने हजारों हैंडबिल बांटे। 6 नवंबर की शाम को बंबई के कामगार मैदान में एक विशाल श्रमिक जलसा आयोजित किया गया। सरकारी और कांग्रेसी अखबारों ने भी यह स्वीकार किया कि इस बैठक में 80,000 से ज्यादा श्रमिकों ने भाग लिया। जमनादास मेहता की अध्यक्षता में आयोजित इस श्रमिक रैली को इंदुलाल याज्ञनिक, डांगे और डॉ. अंबेडकर ने संबोधित किया। रैली की समाप्ति पर कामगार मैदान से एक जुलूस शुरू हुआ। यह जुलूस पटेल रोड़, लाल बाग और डेलिस्ले रोड होते हुए बोरबली के जम्बोरी मैदान में समाप्त हुआ।

हड़ताल के सफल संचालन के लिए 6 नवंबर की रात को जमनादास मेहता की अध्यक्षता में एक सुपरवाइजिंग समिति का गठन किया गया। इस समिति में डांगे, निम्बाकर, मिरागकर और डी.वी. प्रधन के साथ डॉ. अंबेडकर भी सदस्य थे। हड़ताल के लिए चुने गए ढाई हजार स्वयं सेबकों में 90 फीसदी स्वयं सेवक डॉ. अंबेडकर की 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के थे।

7 नवंबर को डॉ. अंबेडकर और जमनादास मेहता ने एक लॉरी में सारे औद्योगिक क्षेत्रा का भ्रमण किया। लगभग कपड़ा मिलें और यहाँ तक कि म्यूनिसिपल की वर्कशॉप भी बंद रहीं। यह भारत में किसी लोकप्रिय सरकार की नीतियों के खिलाफ पहली सफल हड़ताल थी। यह हड़ताल तमाम तरह के दबावों के जिनमें अखबारों ने खुल्लम–खुल्ला सरकार का समर्थन किया औा तमाम तरह की झूठी रपटें छाप कर हड़ताल को बदनाम करने और डॉ. अंबेडकर के श्रमिक पर बढ़ते प्रभाव को कम करने की कोशिश के बावजूद सफल हुई थी।

डेलिस्ले रोड प पुलिस ने श्रमिकों पर लाठी चार्ज किया और फायरिंग की। पटेल रोड पर ग्यारह बजे गृहमंत्री श्री मुंशी की कार पर एक व्यक्ति ने हमला किया और कार की विंडस्क्रीन तोड़ डाली। कार में बैठे हुए सरदार पटेल,मथुरादास, त्रिरीकमजी और भवातजीखीमजी घायल होने से बच गए। हड़ताल के दिन कुल मिलाकर 72 लोग घायल हुए, ग्यारह गंभीर रूप से घायल हुए और पैंतीस लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे दिन भर शक्तिशाली प्रदर्शन होते रहे। इसके अलावा उन कस्बों में भी जहाँ उद्योगों की स्थापना हो चुकी थी, आंशिक हड़ताल रही। इन स्थानों पर जुलूस निकाले गए। अहमदाबाद, अमलनेर, जलगांव, चालीसगांव, पूना और धूलिया में कई जगह शांतिपूर्ण मार्च भी किए गऐ। इस हड़ताल में 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' के कार्यकर्ता भागीजी बाघमारे पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए।

एक दिवसीय हड़ताल के अंतिम चरण में शाम को बंबई के कामगार मैदान में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। इस सभा की अध्यक्षता जमनादास मेहता ने की। सभा को रणदिवे, डी.वी. प्रधान, निम्बाकर, मिराजकर और डांगे ने भी संबोधित किया। इस सभा में औद्योगिक विवाद बिल का और गृहमंत्री का पुतला जलाया गया। डॉ. अंबेडकर ने इस मौके पर एक विचारोत्तजक भाषण दिया। श्रमिकों का आह्यन करते हुए अपने प्रतिनिधि चुनकर राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की सलाह दी।

डॉ. अंबेडकर ने श्रमिकों पर क्रूर लाठी चार्ज और फायरिंग की सार्वजनिक जांच की मांगे रखीं। इस वक्तब्य में डॉ. अंबेडकर ने कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस मंत्रिमंडल एक दिन की भी हड़ताल बिना ऐसे क्रूर कार्य के सहन न कर सही, ''आज कांग्रेस राज में हम एक दिन की हड़ताल भी बिना दमन और आंतक को झेल नहीं सकते। यही कांग्रेस की हमें देन है।''33

वायसराय की कौंसिल में श्रम मंत्री

20 जुलाई 1942 को सर सी.पी. रामास्वामी, सर मोहम्मद उस्मान, सर जे.पी. श्रीवास्तव और सर जोगेन्द्र सिंह के साथ तात्कालिक वायसराय ने डॉ. अंबेडकर को भी अपनी कार्यकारिणी के लिए नियुक्त किया। डॉ. अंबेडकर को 'श्रम विभाग' का कार्य सौंपा गया। बंबई से प्रकाशित 'संडे स्टैंडर्ड' ने इस अवसर पर लिखा ''यह उस व्यक्ति के लिए है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी वंचित लोगों के हकों और श्रमिकों के अधिकारों के संघर्ष के लिए लगा दी है, एक आदर्श विभाग।'' अखबार ने आगे यह भी कहा ''यदि निर्दलीय डॉ. अंबेडकर सरंकार के लिए कांटा नहीं है तो वह रबड़ की मोहर भी नहीं बनेंगे।''[34]

लेकिन डॉ. अंबेडकर को इस बात का अहसास था कि सरकारी पद प्राप्त करने पर उन पर तरह–तरह के आरोप लगाए जाएंगे। इस संदर्भ में डॉ. अंबेडकर के वक्तब्य बहुत ही महत्तपूर्ण हैं। उन्होंने अपनी भूमिका को अध्कि स्पष्टता से पेश करते हुए कहा कि वह कभी भी समाज के किसी वर्ग की स्वतंत्रता पर आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने बंबई म्यूनिसिपल कामगार यूनियन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में साफ–साफ वायदा किया कि मालिक–श्रमिकों के तमाम संघर्षों में वह श्रमिकों का साथ देंगे। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भी उन्होंने स्पष्ट किया कि–''उनको नेतागिरी से कोई प्यार नहीं है। इसलिए जब वह देखेंगे कि वायसराय की कार्यकारिणी के मेम्बर बने पर वह पिछड़े वर्गों की हालत सुधारने में सफल नहीं हो रहे हैं तो वह अपना त्यागपत्र देकर अपने पहले के काम को अपना लेंगे।''[35]

डॉ. अंबेडकर नए भारत के निर्माण में श्रमिकों की महती भूमिका को स्वीकार करते थे। उनके अनुसार ''श्रमिक, श्रमिकों की सरकार की स्थापना में बहुत कुछ योगदान कर सकते थे।'' डॉ. अंबेडकर भारत की स्वतंत्राता के घोर समर्थक थे। लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ यही काफी नहीं है कि ''भारत को स्वराज्य मिल जाए।'' वह आश्वासित हो जाना चाहते थे कि ''स्वराज्य शोषितों, श्रमिकों और पिछड़ों को सौंपा जाए।''[36]

द्वितीय विश्वयुद्ध में डॉ. अंबेडकर ने श्रमिकों का आह्यन किया कि वह नाजी विरोधी जंग में शिरकत करें और शक्तियों को विजयी बनाएं। ''भारतीय श्रमिक और युद्ध'' विषय पर आकाशवाणी से प्रसारित अपनी वार्ता में उन्होंने नाजियों और द्वितीय विश्युद्ध के वास्तविक मुद्दों को स्पष्ट किया। उनका मानना था कि युद्ध संसार की सीमाओं के निर्माण के लिए नहीं था बल्कि ''यह एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जो मनुष्यों के बीच और एक क़ौम के बीच सहकारी जीवन के विचारों में परिवर्तन चाहता था।'' उनके अनुसार ''यह क्रांति नव–निर्माण की इच्छुक थी और इसके लिए श्रमिकों की यह जंग जीतने के लिए लड़ना चाहिए था।''

डॉ. अंबेडकर श्रमिकों की भलाई, उनकी त्राुटियों के गंभीर अध्ययन कर्ता थे। वह श्रमिकों के कारखानों में प्रबंध्न में हिस्सेदारी के पक्के समर्थक थे। उनके प्रयत्नों से मालिक–श्रमिक– सरकार के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय कांफ्रेंस का गठन किया गया। इस कमेटी ने सभी उद्योग केंद्रों में प्रबंधक कमेटियां तैयार करने पर जोर दिया। श्रम श्रमिकों की बेरोजगारी का सिल–सिलेवार ब्यौरा और उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार दफ्तरों की स्थापना की।

सातवीं श्रमिक कांफ्रेंस के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि भारत में श्रमिक संबंधी कानून बनाने के बारे में कई तरह के संदेह पाए जाते हैं–

1. कुछ लोग कहते हैं कि हमें श्रमिक संबंधी कानून बनाने में ब्रिटेन की नकल करनी चाहिए। ब्रिटेन में श्रमिकों को वर्तमान श्रमिक संहिता के लिए सौ साल प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
2. कुछ लोग तर्क देते हैं कि भारत में उद्योग अभी बाल्यावस्था में है इसलिए उन पर श्रमिक कानून का बोझ नहीं डालना चाहिए। ऐसे लोग रूस का उदाहरण भी देते हैं। वहां श्रमिकों ने निम्न स्तर को स्वीकारा ताकि उद्योग पनप सके।
3. कई लोग यह कहते हैं कि चूंकि भारत में मजदूरी संबंधी कानून को लागू कारने के लिए कोई प्रशासन ही नहीं है। इसलिए ऐसे कानूनों को बनाने का क्या लाभ जो लागू ही न हों।
4. एक दलील यह भी दी जाती है कि चूंकि भारत एक गरीब देश हैं इसलिए यह श्रमिकों के लिए ऊंचे जीवन स्तर के सुख–विलासों का खर्चा सहन नहीं कर सकता।

डॉ. अंबेडकर ने इन कुतर्कों का जवाब देते हुए कहा ''यह उपरोक्त तर्क विश्व जनमत को संतुष्ट नहीं कर सकता। श्रमिकों संबंधी कानून बनानों में देर करने के उपरोक्त तर्क कदापि ठोस और ठीक नहीं है। यह ढील श्रमिकों को साथ ज्यादती है। श्रमिकों को यह पूछने का हक है कि ब्रिटेन ने श्रमिकों की संहिता बनाने में सौ वर्ष लगा दिए तो क्या हमें भी ऐसा ही करना चाहिए।

डॉ. अंबेडकर ने इस संदर्भ में इतिहास की भूमिका को बताते हुए कहा कि इतिहास का अध्ययन इसलिए नहीं किया जाता कि हम किस कुशलता से दूसरों की गलतियों की नकल कर सकते हैं बल्कि ''हम इतिहास का अध्ययन इसलिए करते हैं कि हम दूसरों की गलतियों को जान सकें ताकि उन्हें दोहराया न जाए।'' डॉ. अंबेडकर के अनुसार ''इतिहास उदाहरण की बजाय एक चेतावनी होता है।'' उन्होंने आगे कहा कि '' श्रमिक लाजिमी यही कहेंगे कि रूस का उदाहरण भारत पर लागू नहीं होता। यहां उद्योग पर निजी मिल्कियत है जिसका काम है निजी मुनाफ़ा कमाना। रूस में उद्योग एक राज्य उद्यम हैं। वहां उद्योग का मुनापफा सरकारी खजाने में जाता है न कि वह कुछ लोगों की तिजोरियां भरने का काम आता है।''[37] डॉ. अंबेडकर ने जोर देकर कहा ''ऐसी व्यवस्था में जिस में श्रमिकों का जीवन स्तर नीचा करके, होने वाला मुनाफा पूंजीपतियों के पास जाएगा, वर्कर को त्याग करने के लिए कैसे मनाया जा सकता है।''[38]

प्रशासनिक तंत्र और श्रमिकों के न्याय पर खुलासा करते हुए उन्होंने कहा ''जहां तक श्रमिकों संबंधी कानून लागू करने के लिए प्रशासन तंत्रा का प्रश्न है, राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस रखती हैं। टैक्सों की वसूली के लिए राज्य राजस्व अधिकारी नियुक्त करती है।– राज्य श्रमिकों संबंधी कानून लागू करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल क्यों नही करता?''[39] डॉ. अंबेडकर ने सरकार के कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा ''क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं कि वह सभ्य जीवन के अनुवूफल सेवा शर्ते तय करें? यदि राज्य का यह कर्तव्य हैं तो क्या इसके लिए मशीनरी बनाना अनिवार्य नहीं है?''[40] श्रमिकों की ओर से डॉ. अंबेडकर ने प्रश्न किया कि धनाढय वर्ग युद्ध के खर्च के लिए कर देने को सहमत हैं तो वह श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए धन देने में क्यों हिचकिचाता है।

डॉ. अंबेडकर उद्योगों में शांति के हिमायती थे। लेकिन वह यह शांति श्रमिकों के हितों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने औद्योगिक विवाद रोकने और शांति बनाए रखने के लिए तीन उपचार बताए–

1. औद्योगिक विवादं से उत्पन्न स्थिति के लिए समझौता मशीनरी।
2. ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट में संशोधन तथा
3. न्यूनत्तम वेतन कानून का निर्माण

डॉ. अंबेडकर का मानना था ''शक्ति के प्रयोग से औद्योगिक शांति बहाल नहीं की जा सकती। कानून द्वारा यह संभव हो सकती थी लेकिन यह सुनिश्चित नहीं था।'' डॉ. अंबेडकर की पक्की धरणा थी कि सामाजिक–न्याय को औद्योगिक शांति का आधर बनाने पर ही यह एक आशापूर्ण साध्य हो सकती थी। उनके अनुसार ''उद्योगों में शांति एक त्रिकोणी उपागम्य था जो वर्कर से शुरू होता है। श्रमिक को अपने काम करने के कर्तव्य का पालन करना चाहिए जिसका अर्थ है उसे काम नहीं टालना चाहिए। दूसरा उद्योगपति द्वारा श्रमिक को उचित वेतन देना चाहिए और उसे काम करने की अच्छी सुविधएं भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसका नाम श्रमिक कल्याण है''[41] डॉ. अंबेडकर की राय में ''राज्य और समाज को यह समझ लेना चाहिए कि मालिक और श्रमिक के बीच उचित संबंध महज एक इकरारनामा ही नहीं है। अपितु यह एक सार्वजनिक मामला भी है।''[42]

डॉ. अंबेडकर ने 1946 में श्रम मंत्री की हैसियत से केंद्रीय असेम्बली में न्यूनतम श्रम निर्धारण संबंधी एक बिल पेश किया। यही बिल 1948 में जाकर न्यूनतम मजदूरी कानून बना। डॉ. अंबेडकर ने ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट में संशोधन कर सभी यूनियनों को मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया और सन् 1946 में ही लेबर ब्यूरो की स्थापना भी की।

डॉ. अंबेडकर ने औद्योगिक श्रमिकों लिए बीमा योजना तैयार करने उद्देश्य से तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की और योजना को अपने कार्यकाल में लागू किया। डॉ. अंबेडकर के प्रयत्नों से ही खानों में स्त्री श्रमिकों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। डॉ. अंबेडकर ने समान श्रम,समान वेतन के सिद्धांत पर जोर दिया और महिलाओं को पुरूषों के बराबर वेतन देने की शुरूआत कार्रवाई डॉ. अंबेडकर द्वारा अपने कार्यकाल में श्रमिकों के लिए जो अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए उनमें प्रमुख हैं –

1. अनिवार्य
2. औद्योगिक आवास, नियोजक के उत्तरदायित्व और सवेतन अवकाश
3. औद्योगिक दुर्घटना राहत कानून
4. महिलाओं को प्रसूति लाभ पर अवकाश आदि।

क्या डॉ. अंबेडकर हड़ताल के विरोधी थे?

यूं तो उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए डॉ. अंबेडकर पर लगाए गए ''हड़ताल तोड़क'' संबंधी आरोप खुद–ब–खुद निरस्त हो जाते हैं लेकिन डॉ. अंबेडकर पर यह आरोप भारत में श्रमिकों के सबसे बड़े हितैषी कहलाने वाले साम्यवादी खेमे द्वारा लगाए जाते हैं, अतः इसका संदर्भ सहित विश्लेषण आवश्यक है। डॉ. अंबेडकर पर यह आरोप मुख्यतः अप्रैल 1929 में साम्यवादियों के नेतृत्व वाली गिरनी कामगार यूनियन द्वारा बंबई की कपड़ा मिलों में की गई हड़ताल का विरोध करने के लिए लगाया जाता है।

इस आरोप की तह में जाने के लिए मिलों की तात्कालिक स्थिति और उनमें श्रमिकों की हालत और मजदूर नेतृत्व की दिशा का विश्लेषण करना जरूरी है। एक ऐतिहसिक तथ्य है कि उस समय मिलों और फैक्ट्रियों में निम्न और पिछड़ी जाति के श्रमिकों को इनके अच्छे आमदनी वाले विभागों में काम नहीं दिया जाता था। अछूतों को तो बुनाई विभाग में कार्य करने की अनुमति भी नहीं थी। इसका कारण इस विभाग में धगा टूट से अपवित्रा हो जाने का डर था।

डॉ. अंबेडकर ने 1929 की हड़ताल का समर्थन न करने के संबंध में बताया ''1929 में बंबई की कपड़ा मिलों में एक लंबी हड़ताल हुई। हड़ताल के दौरान मैंने हड़ताल के नेताओं से मुलाकात की और उनसे मिलों के कुछ विभागों में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा दलित वर्ग के लोगों के काम करने पर लगाए प्रतिबंध को हटाने के लिए कुछ

करने को कहा। श्रमिक नेताओं ने मेरे सुझाव पर सिवाय एक हानि रहित प्रस्ताव पारित करने और इसे फावेटूट कमेटी को अग्रसारित करने के लिए महीनों तक कोई कार्यवाही नहीं की। फावेटूट कमेटी ने भी इस संदर्भ में कुछ नहीं किया।''43 इस प्रकार डॉ. अंबेडकर का कहना था कि श्रमिक नेता अछूतों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के ख़िलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। ''क्योंकि उनके इस काम से अन्य श्रमिक रूठ जाएंगे तथा श्रमिक वर्ग में फूट पड़ जाएगी।''44 डॉ. अंबेडकर का इन्हीं मुद्दों पर साम्यवादियों से गंभीर मतभेद रहा। डॉ. अंबेडकर के अनुसार ''श्रमिकों के बीच छुआछूत का भेदभाव सैद्धांतिक तौर पर गलत और मजदूर आंदोलन के लिए हानिकारक था''[45]

कुछ लोगों को यह भी कहना था, यहां तक कि अभी भी कुछ लोगों की यह शिकायत है दलित वर्गों की अलग पार्टी का गठन साधरणतः कामगर वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचाता है। इस विषय में डॉ. अंबेडकर का दृष्टिकोण था ''यह (दलित वर्ग की अलग पार्टी) इस तरह का कुछ भी नहीं करती। इसके विपरीत श्रमिकों के निम्नतम तबकों से संगठित हमारा संघर्ष कामगर वर्ग के अन्य सभी सदस्यों को लाभ पहुंचाएगा। यदि किसी संरचना के सबसे निचले पत्थर को उसकी जगह से स्थानांतरित किया जाता है तो यह तय है कि यह उन पत्थरों को भी जो इसके ऊपर थे, हिलाएगा। दूसरी और एक श्रम संगठन जो केवल सवर्ण हिन्दुओं का है, निश्चित तौर पर सभी हिन्दुओं के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। यहीं नहीं यदि इस संगठन को उचित निर्देश न मिलें तो यह दलित वर्गों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। सवर्ण हिन्दू संगठन दलित वर्गों के श्रमिकों के हकों को स्वीकार नहीं भी कर सकता है। यहां तक कि उनके अधिकारों पर जैसा कि पहले भी उनके मामलों में हो चुका है''[46] अपनी इस बात के दौरान डॉ. अंबेडकर ने दलित वर्ग को अन्य समुदायों के कामगार वर्ग के साथ साझा मोर्चा बनाने की सलाह भी दी। क्या इन तथ्यों के प्रकाश में डॉ. अंबेडकर को हड़ताल तोड़ने वाले व्यक्ति की संज्ञा दी जा सकती है। डॉ. अंबेडकर भारत में श्रमिक वर्ग के दो दुश्मन मानते थे। पहला ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। श्रमिकों में व्याप्त सामाजिक भेदभाव को वह ब्राह्मणवाद का लक्षण मानते थे। डॉ. अंबेडकर ने श्रमिकों में फूट पर चिंता प्रकट की। सर्वव्यापी श्रमिकों के बीच व्याप्त सर्वव्यापी असमानता के खिलाफ उन्होंने श्रमिकों की एकता पर जोर दिया। उनके अनुसार यदि श्रमिक एक होना चाहते हैं तो उन्हें ब्राह्मणवाद को मिटाना होगा। बाबा साहब के अनुसार श्रमिक में समानता को भाव न आ पाने का यही मूल कारण था।

इस प्रकार डॉ. अंबेडकर श्रमिकों के हितों व उनके संघर्षों के एक ऐसे संवेदनशील योद्धा और नेता थे जिसने कदम–कदम पर उनके लिए संघर्ष किया। उन्होंने श्रमिकों के प्रति यह प्रतिबद्धता अपने परिनिर्वाण तक जारी रखी। यह दुःख की बात है कि श्रमिक वर्ग ही उनका सही मूल्यांकन करने में कोताही बरत रहा है। सम्भवतः यह संक्षिप्त अध्ययन इस मूल्यांकन की शुरुआत बन सकें।

संदर्भ

1. खैरमोडे, जी.बी., डॉ. भीमराव अंबेडकर मराठी जीवन–चरित पृ. 113, (खंड–9)।
2. उपर्युक्त।
3. उपर्युक्त।
4. डॉ. अंबेडकर : एन्हिलेशन ऑफ कॉस्ट, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर : राईटिंग्स एण्ड स्पीचश, खण्ड–1, पृ0 47।
5. उपर्युक्त, पृ. 47।
6. उपर्युक्त, पृ. 47।
7. थॉमस मैथ्यू कांति प्रतीक अम्बेडकर, धम्म बुक्स, नई दिल्ली–1994, पृ. 57।
8. भगवान दासः दस स्पोक अंबेडकर, द्वितीय सस्करण, दलित टुडे प्रकाशन, लखनऊ, 2002, पृ. 45–46।
9. मनमाड़ में जी. आई. पी रेलवे, दलित वर्ग श्रमिक सम्मलेन में डॉ. अंबेडकर का अध्यदीय भाषण, 12–13! फरवरी, 1938।
10. उपर्युक्त।
11. डॉ. बाबासाहब अंम्बेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज़, खण्ड–10, पृ. 110।
12. उपर्युक्त, पृ. 110।
13. उपर्युक्त, 109।
14. भगवान दासः दस स्पोक अंबेडकर, द्वितीय सस्करण, दलित टुडे प्रकाशन, लखनऊ, 2002, पृ. 45–46।
15. उपर्युक्त, पृ. 45, 46।
16. उपर्युक्त, पृ. 45, 46।
17. उपर्युक्त, पृ. 45, 46।
18. उपर्युक्त, पृ. 45, 46।
19. लेबर एंड पार्लियामेंट्र विषय पर श्रमिकों के प्रशिक्षण शिविर में डॉ. अंबेडकर का कारणः डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंगस एण्ड स्पीचेज़ खंड–110 पृ. 109।
20. भगवान दासः दस स्पोक अंबेडकर, द्वितीय सस्करण, दलित टुडे प्रकाशन, लखनऊ, 2002, पृ. 45–46।
21. सोर्स मैटिरियल ऑन डॉ. अंबेडकर एंड दि मूवमेन्ट ऑफ अनटेचबलस खंड–1।
22. उपर्युक्त।
23. उपर्युक्त।
24. डॉ. बाबासाहब अंम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज़–2 में ट्रेड डिस्पयूटस बिल– 1938 पर बहस।
25. उपर्युक्त।
26. उपर्युक्त।
27. उपर्युक्त।
28. उपर्युक्त।
29. उपर्युक्त।
30. उपर्युक्त।
31. सोर्स मैटिरियल ऑन डॉ. बाबा साहब अंबेडकर एंड दि मूवमेन्ट ऑफ अनटेचबलस खंड–1–! पृ. 178–179।
32. धनंजय कीरः डॉ. अंबेडकर लाइक एवं मिशन, पापुलर प्रकाशन, पृ0 347।
33. उपर्युक्त, पृ. 347।
34. उपर्युक्त, पृ. 347।
35. उपर्युक्त, पृ. 347।
36. डॉ. बाबा साहब अंबेडकर राइटिंगस एंड स्पीचेज़ खंड.10, पृ. 36।
37. उपर्युक्त, पृ. 36।
38. उपर्युक्त, पृ. 37।
39. उपर्युक्त, पृ. 37।
40. उपर्युक्त, पृ. 38।
41. उपर्युक्त, पृ. 38।
42. उपर्युक्त, पृ. 38।
43. उपर्युक्त, पृ. 109।
44. उपर्युक्त, पृ. 109।
45. उपर्युक्त, पृ. 109।
46. उपर्युक्त, पृ. 109।